

मुआवजा कार्यक्रम

किसे मदद मिल सकती है?

डेलावेयर पीड़ितों का मुआवजा सहायता कार्यक्रम हिंसक अपराधों के पीड़ितों और उनके परिवारों को अपराध संबंधी खर्चों के लिए मुआवजा प्रदान करता है। चिकित्सा और दंत चिकित्सा लागत, मानसिक स्वास्थ्य परामर्श, नुस्खे वाली दवाएं, खोई हुई मजदूरी, अंतिम संस्कार/दफन समर्थन, अस्थायी आवास और पुनर्वास या पुनर्वास सेवाओं, अपराध से संबंधित लागतों और अन्य एजेंसी-अनुमोदित लागतों के लिए मुआवजा उपलब्ध है। VCAP केवल उन खर्चों का भुगतान करता है जो धन के किसी अन्य स्रोत, जैसे स्वास्थ्य या ऑटो बीमा द्वारा कवर नहीं किए जाते हैं। संपत्ति के नुकसान को कवर नहीं किया गया है।

पात्रता की जरूरतें:

- अपराधों की सूचना 72 घंटों के भीतर कानून प्रवर्तन को दी जानी चाहिए।
- अपराध के 1 वर्ष के भीतर VCAP के पास एक आवेदन दायर किया जाना चाहिए।
- पीड़ितों को कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ सहयोग करना चाहिए।
- पीड़ितों को VCAP कर्मचारियों के साथ सहयोग करना चाहिए और मांगी गई सभी जानकारी प्रदान करनी चाहिए।
- पीड़ित को अपनी चोट या मृत्यु का कारण या योगदान नहीं देना चाहिए।

कौन-कौन से हर्जाने देय हैं?

- पीड़ित के लिए चिकित्सा और/या दंत चिकित्सा व्यय।
- मानसिक स्वास्थ्य उपचार या परामर्श।
- वेतन या आय हानि।

- अंतिम संस्कार और/या दफन व्यय।
- अपराध स्थल की सफाई।
- स्थानांतरण/पुनर्वास व्यय।
- अस्थाई आवास।
- तालों का बदलना।
- साक्ष्य के रूप में जब्त की गई वस्तुओं को बदलें।

पीड़ितों का मुआवजा सहायता कार्यक्रम केवल अपराध से संबंधित नुकसान का भुगतान कर सकता है जो बीमा या अन्य स्रोतों द्वारा कवर नहीं किया गया है। कोई इनाम \$25,000.00 से अधिक नहीं होगा। कुछ प्रकार के नुकसान के लिए सीमाएं निर्धारित की गई हैं। कृपया किसी भी प्रश्न के लिए VCAP कार्यालय से संपर्क करें।

मुआवजा दिए जाने से पहले सभी नुकसानों का दस्तावेज़ीकरण द्वारा समर्थन किया जाना चाहिए।

आपको खोई हुई, क्षतिग्रस्त या चोरी हुई संपत्ति के लिए, या दर्द और पीड़ा के लिए भुगतान नहीं किया जा सकता है।

माता-पिता या अभिभावक को 18 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति के लिए आवेदन करना चाहिए। जो पीड़ित शारीरिक या मानसिक सीमाओं, या मृत्यु के कारण आवेदन करने में असमर्थ हैं, उनकी ओर से एक व्यक्तिगत प्रतिनिधि फ़ाइल होनी चाहिए।

मदद के लिए कृपया संपर्क करें:

पीड़ितों का मुआवजा सहायता कार्यक्रम

900 North King Street, Suite 4

Wilmington, DE 19801

फ़ोन 302.255.1770

फैक्स: 302.577.1326

डेलावेयर पीड़ित केंद्र

1-800-पीड़ित-1 केवल राज्य में

डेलावेयर न्याय विभाग
पीडित सेवा इकाई
1-800-870-1790

डेलावेयर हेल्पलाइन
राज्य में 1-800-464-HELP (4357)
राज्य से बाहर 1-800-273-9500

[स्थानीय पीडित संसाधन](#)